राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांकः— प. 12 (69) वित्त/कर/10 पार्ट　　　　　　　　दिनांक 22—11—2011

बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय से सम्बन्धित कुछ बिन्दुओं पर चर्चा करने हेतु दिनांक 11.11.11 को 12.30 बजे वित्त सचिव (राजस्व) के कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारियों ने भाग लिया :—

1. श्री अखिल अरोरा, महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय।
2. डॉ0 रविकुमार एस., उप शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग।
3. श्री सुनील धारीवाल, अतिरिक्त निदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय।
4. श्री मूल चन्द शर्मा, अतिरिक्त निदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय।
5. श्री मदन लाल, अतिरिक्त आयुक्त (कर), वाणिज्यिक कर विभाग।

बैठक में राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय की तरफ से निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई —

1. राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में पदस्थापित RIO एवं उच्चतर पदों के अधिकारियों द्वारा किये गये किसी कर निर्धारण आदेश के पश्चात् पत्रावली में आगामी कार्यवाही करने की अधिकारिता विभागीय क्षेत्राधिकार अनुसार होनी चाहिये।

2. राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 97 बी के तहत वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या प. 12 (69) वित्त/कर/10 पार्ट—18 दिनांक 17.5.2011 के जरिये धारा 22, 23, 24, 27 एवं 28 के अतिरिक्त अन्य प्रावधानों में कर निर्धारण अधिकारी के समान अधिकार राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में पदस्थापित RIO एवं उच्चतर पदों के अधिकारियों को प्रदान किये गये हैं। करापवंचन/कर परिवर्जन के प्रकरणों में आरोपित/आरोपणीय शास्ति के प्रशमन हेतु यदि किसी व्यवहारी द्वारा धारा 68 (1) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसका निपटारा करने की शक्तियाँ वाणिज्यिक कर विभाग में ही निहित रखना।

3. राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में पदस्थापित अधिकारियों को सिर्फ जांच, तलाशी एवं अभिग्रहण की शक्तियां ही प्रदान की जायें। उनके द्वारा बनाये गये कर अपवंचन/कर परिवर्जन के प्रकरणों में कर निर्धारण आदेश पारित करने की कार्यवाही वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों से ही करायी जाये ।